न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 03/2016

GCMS No. : 2016/00464

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे जयपुर		1. श्री साबीर खान पुत्र बुन्दु खान (वेन्डर) M/S बालान नेचुरल फुड प्रा.लि. ए.वी.एम. कियोस्क, प्लेटफार्म नम्बर 1 रेल्वे स्टेशन मारवाड जंक्शन पता काजीपुरा मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. आश्विन गर्ग पुत्र रमेश कुमार गर्ग (Proprirtor B Netural Food Pvt Ltd AVM Keosk Plateform No 1 Railway Station marwar jn) M/S बालान नेचुरल फुड प्रा.लि पता गांधी पार्क के पास आबुरोड जिला सिरोही। 3. M/S बालान नेचुरल फुड प्रा.लि AVM Keosk Plateform No 1 Railway Station marwar jn) 4. M/s Cinque Food Pvt Ltd मंगलम काम्पलेक्स नियर गांधी पार्क आबुरोड जिला सिरोही (राज) 5. आश्विन कुमार गर्ग Director of cinque Food pvt Ltd मंगलम काम्पलेक्स नियर गांधी पार्क आबुरोड जिला सिरोही (राज) 6. Shri anit kumar pal (Quality Assurance Manager) Nominee Hindustan cocacola Bevrrages Pvt Ltd Village Goblej taluka matar distt kheda 387440 gujarat 7. M/s Hindustan cocacola Bevrrages Pvt Ltd Village Goblej taluka matar distt kheda 387440 gujarat

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52

—: निर्णय :—

दिनांक : 20.5.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता एवं प्रार्थी वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जायेगा।

प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णन किया कि वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना फाईल नम्बर 1(42) 2011/रेल्वे/एफ.एस.एस.ए. आई दिनांक 28.03.2012 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेल्वे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र उनके कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी दिनांक 13.10.2014 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बालान नेचुरल फुड प्रा. लि. एवीएम कियोस्क प्लेटफार्म नम्बर 1 रेल्वे स्टेशन मा.ज. पहुंचा। जहा पर साबीर खान यात्रियों को चाय, काफी, माजा फ्रुट ड्रिक आदि बेच रहा था। जिसे अपना परिचय देकर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम साबीर खान बताया। स्टॉल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्टॉल में माजा फ्रुट ड्रिक रखा पाया जिसे साबीर खान यात्रियों को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर सरकारी जांच हेतु माजा फ्रुट ड्रिंक का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्रं गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नही होने से साथ आये कैलाश लाल एन्टी मलेरिया खलासी एवं जितेन्द्र कुमार एच.आई.मा.ज. को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि माजा फ्रुट ड्रिंक का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 04 बोतल माजा फ्रुट ड्रिंक (750 एम.एल.) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 140/– रूपये नकद साबीर खान को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर साबीर खान गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्टॉल से खरीदशुदा माजा फ्रुट ड्रिंक (750 एम.एल) नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं साबीर खान की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर साबीर खान गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं डी.ओ. का कोड एवं सिरियल नम्बर एनडब्ल्युआर–081 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं साबीर खान व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को जोराराम एन्टी मलेरिया खलासी द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। साबीर खान की स्टॉल से लिया गया नमुना संख्या एनडब्ल्युआर–081 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/607/एक्ट/2014/653 दिनांक 05.11.2014 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) माजा फ्रुट ड्रिंक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। प्रकरण राजस्थान राज्य से संबधित न होकर रेल्वे (केन्द्र) का होने से रेल्वे के सयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय ने धारा 77 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय सीमा सतुष्ट होकर बढायी गयी। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर Food Safety and Standard Authority of india द्वारा मान्यता प्राप्त है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने लिखित जवाब में निवेदन किया कि उक्त एवीएम कियोस्क प्लेटफार्म बी नेचुरल द्वारा संचालित की जाती है अप्रार्थी को खाद्वय सामग्री विक्रय के लिए वेडर रखा हुआ है। जिसके ठेकेदार अश्विन गर्ग है जिनके द्वारा खाद्य सामग्री यात्रियों को विक्रय हेतु उपलब्ध करवायी जाती है। प्रार्थी द्वारा स्टॉल से लिया गया माजा फ्रुट ड्रिंक की खरीद अप्रार्थी संख्या 04 से जरिये बिल संख्या 2831 एवं 2832 दिनांक 10.10.2014 से पेकिंग अवस्था में खरीद किया था उसी अवस्था में यात्रियों को विक्रय किया जा रहा है। उक्त माजा फ्रुट ड्रिंक अप्रार्थी संख्या 07 द्वारा निर्मित है जिसे अप्रार्थी संख्या 01 का कोई दोष नही है। अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

से लिया गया Maaza fruit, Drink Hindustan cocacola Beverages Pvt Ltd द्वारा निर्मित है निर्माता कम्पनी को दोषी मानते हुए अप्रार्थी संख्या 01 को दोष मुक्त करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 06 व 07 ने पुर्व में लिखित जवाब में खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर को एनएबीएल के अनुसार नही माना है उक्त लेब एनएबीएल मापदण्डो के अनुरूप अपग्रेड नही है एवं प्रार्थी Divisional Rank officer नही है जिन्हे उक्त नमुना लेने का अधिकार नही है। साथ ही न्यायानुकुल निर्णयन एवं सुनवाई हेतु उक्त नियम 2011 के नियम 3.1.1(10) के तहत नियुक्त होने योग्य पेनल एडवोकेट के द्वारा आरोपक रिप्रेजेन्ट होना जरूरी है उक्त प्रकरण में ऐसा नही किया गया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय से पहले साक्ष्य गवाह के बयान अपेक्षित है। FSSA 2006 सपठित नियम 2.4.2(5) Fss Rules 2011 के अनुसार 14 दिनों में विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर विश्लेषक द्वारा अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भिजवाना अनिवार्य है लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा नही हुआ है। प्रकरण में उक्त कार्यवाही 14 दिवस मे न होकर 7 दिवस विलम्ब में की गई जो अनिवार्य नियमों एवं प्रावधानों का उल्लघन हैं। ऐसे प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान गोवाहाटी पंजाब एवं हरियाणा द्वारा अमान्य किया जाकर आरोपी के हक में फैसला देकर परिवाद खारिज किया है। चुकि प्रकरण केवल जुर्माना अधिरोपित करके धारा 52 एफएसएसए, 2006 के तहत निस्तारणीय सिविल पेनेल्टी की प्रकृति का दर्शाया है इसलिये अभिहित अधिकारी को अपने सयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त को 14 दिनों में दिनांक 01.12.2014 तक रिकमण्डेशन भेजकर धारा 77 FSSA 2006 में वर्णित एक वर्ष की प्रावधायी विधायी मियाद से आगे मियाद बढवाने के लिए पत्र प्रेषित करना जरूरी था किन्तु इस प्रकरण में डी.ओ. उक्त विधिक कर्तव्य का वहन करने मे स्पष्ट असफल रहा है। साथ ही म्याद बढाने हेतु डीडीओ से निवेदन पर 473 दिनों के विलम्ब से पेश कर अप्रार्थी के सवैधानिक हितो पर घोर आघात किया है। प्रयोगशाला में Maaza स्पेलिंग के लिए गये नमुने का विश्लेषण नहीं किया गया अपितु Mazza स्पेलिंग एवं शब्द लिखे हुये पेय का उक्त प्रयोगशाला मे विश्लेषण किया गया है जो अनावेदक की कम्पनी का उत्पाद नही है। उक्त सारवान डिफेक्ट को गौण रखकर न्याय निर्णयन आवेदन पत्र दायर करना एवं गत पांच वर्षो से चलाये रखना घोर लापरवाही युक्त एवं सन्देहास्पद कार्यवाही है, जो अप्रार्थी के विधित हितो को विपरित रूप से प्रभावित करने हेतु अधिकृत नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नम्बर 5ए अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.10.2014 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से मिलावट का सन्देह होने की स्थिति में Maaza fruit Drink का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय किया जाकर नियमानुसार उत्पाद पर नमूना कोड एवं क्रम संख्या एनडब्ल्युआर 081 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Maaza fruit Drink का नमुना कोड संख्या एनडब्ल्युआर 081 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Maaza fruit Drink का नमुना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded Food) under Section 3(1)(zf)(A)(i)(a) as per Food Safety and Standards Act 2006 पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

द्वारा न्यायालय में प्रकरण पेश करने में देरी होने के कारण सयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा धारा 77 की शक्तियो का प्रयोग करते हुए समय सीमा बढायी गयी जो नियमानुसार एवं एक्ट के प्रावधानों अनुसार है। प्रकरण में साक्ष्य गवाहान श्री अजयकुमार त्रिपाठी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर रेल्वे जोधपुर, जोराराम सेवानिवृत रेल्वे कार्मिक के ब्यान लिये गये, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पुर्ण कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत की गयी है। खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार Mazza Fruit Drink के लेबल पर Mazza mango also contains alphanso लिखा पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिग और लेबलिंग) विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) का उल्लघन पाया गया, जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय/विनिमयन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) Mazza Fruit Drink का उत्पादन/विक्रय/विनियमन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण पर 10,000–10,000/– अक्षरे दस–दस हजार रूपये 70,000/– सत्तर हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली